प्रपत्र–ए

न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–VI, हाजीपुर, वैशाली

उपस्थितः– शिव श्रुतिका
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–XIII
हाजीपुर, वैशाली।

निर्णय की तिथिः– 08.05.2025

परिवाद पत्र संख्या–3189/22

संज्ञान अन्तर्गत धारा– 341 भा0द0वि0 तथा 3 और 4 डायन एक्ट

परिवादी/परिवादिनी	रेशमा देवी पति सुरेन्द्र महतो, ग्राम– कुशहर खास, थाना– महुआ, जिला–वैशाली।
परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री उमेश प्रसाद गुप्ता
अभियुक्तगण	1. नागेन्द्र महतो, पिता– स्व0 राऔतार महतो 2. महासुन्दर देवी, पति नागेन्द्र महतो 3. अमित महतो, पिता– नागेन्द्र महतो 4. जितेन्द्र महतो, पिता– नागेन्द्र महतो
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता	श्री अरविंद कुमार

प्रपत्र–बी

अपराध की घटना तिथि	08.10.2022
परिवाद पत्र की तिथि	12.10.2022
संज्ञान की तिथि–	31.03.2023
बयान अंतर्गत धारा–us-313 द0प्र0स0	08.05.2025
निर्णय पर नियत होने की तिथि	08.05.2025
निर्णय की तिथि	08.05.2025
दंडादेश/दोषमुक्त की तिथि, यदि हो तो	दोषमुक्त

अभियुक्त का विवरणः–

अभियुक्त का क्रमांक	अभियुक्त का नाम	आत्मसमर्पण/अभिरक्षा की तिथि	जमानत पर मुक्त की तिथि	आरोप गठन/अभियोग के सारांश की धारा	अभियुक्त दोषमुक्त या दोषसिद्ध	अधिरोपित कारावास	विचारण की अवधि के दौरान कारा में व्यतीत की गई अवधि का धारा–428 द0प्र0स0 के उपबंध के अन्तर्गत मुजरा होने की अवधि।
1.	नागेन्द्र महतो	05.08.2023	05.08.2023	341 भा0द0वि0 तथा 3 और 4 डायन एक	दोषमुक्त	––	––

2.	महासुन्दर देवी	05.08.2023	05.08.2023	ट	दोषमुक्त		
3.	अमित महता	05.08.2023	05.08.2023		दोषमुक्त		
4.	जितेन्द्र महता	05.08.2023	05.08.2023		दोषमुक्त		

प्रपत्र–सी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षीगण की सूचीः–

A. अभियोजन

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
परिवादी साक्षी संख्या–01	सुनिता देवी	साक्षी
परिवादी साक्षी संख्या–02	रेशमा देवी	सूचिका

B. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :– कोई प्रतिरक्षा साक्षी नहीं है।

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
————	————	————

C. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो :– नहीं

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के प्रदर्षों की सूचीः–

A. अभियोजन :–

क्रम सं0	प्रदर्श	विवरण
1.	प्रदर्श	––

B. प्रतिरक्षा प्रदर्श :– शून्य।

C. न्यायालय प्रदर्श :– शून्य।

D. वस्तु प्रदर्श :– शून्य।

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की **धारा– 341 भा0द0वि0 तथा 3 और 4 डायन एक्ट** के अन्तर्गत अपराध का आरोप है जिसमें अभियुक्तों ने इंकार किया तथा अपने को निर्दोष बताया है।

2. परिवादिनी का परिवाद पत्र का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादनी रेशमा देवी घ ाटना तिथि 08.10.2022 को समय करीब 8 बजे सुबह अपने घर के दरवाजे पर थी कि सभी मुदालहगण परिवादनी के दरवाजे पर आकर परिवादनी को डायन का आरोप लगाकर गंदा–गंदा गाली देने लगा तथा मारपीट पर उतारू हो गया। मुदालह नागेन्द्र महतो अपना कपड़ा हटाकर परिवादिनी को अपना गुप्तांग दिखाते हुए बोला कि तेरा मैं बलात्कार करेंगे तथा यह भी धमकी

दिया कि तुम्हारी बेटी को अपहरण करके ले जाएंगे तथा बलात्कार करके बिक्री कर देंगे। घटना के लिखित शिकायत पत्र महुआ थाना को परिवादनी ने दिया लेकिन थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर मुदालह पुनः गाली देते हुए बोला कि पुलिस मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे।

3. परिवादिनी द्वारा दाखिल परिवाद पत्र के आधार पर मामला पंजीकृत कर धारा 341, 354, 504, 506/34 भा0द0वि0 तथा 3 एवं 4 डायन प्रतिषेध अधिनियम के तहत जांच एवं निष्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित न्यायालय को हस्तांतरित किया गया।

4. **विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–तेरह** द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0वी की **धारा– 341 तथा 3 एवं 4 डायन एक्ट** के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है। मामले के विचारण एवं अंतिम निपटारे हेतु उक्त न्यायालय में रखा गया। पुनः उक्त वाद के निष्पादन हेतु अन्य न्यायालयों से होते हुए इस न्यायालय को प्राप्त करवाया गया। अभियुक्तगण विचारण के समय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और परिवाद केस के पूरे घटना से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

5. दोनों पक्षों की तरफ से संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित सुलहनामा सह अनुमति पत्र दाखिल किया गया है।

6. परिवादी की ओर से इस वाद में **दो (02)** साक्षियों क्रमशः परिवादी साक्षी संख्या–01 सुनिता देवी साक्षी संख्या 02 रेशमा देवी का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया गया है।

7. अभियुक्तों का बयान धारा–313 द0प्र0स0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्तों द्वारा परिवाद केस के पूरे घटना से इन्कार किया तथा अपने को निर्दोष बतलाया है। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं कराया गया है।

8. न्यायालय के समक्ष एकमात्र विनिष्चियन का बिन्दु यह है कि, क्या अभियोजन अभियुक्तगण पर आरोपित सभी आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहे हैं या नहीं ?

मन्तव्य

9. परिवादी की ओर से प्रस्तुत वाद में **दो (02) साक्षियों क्रमशः परिवादी साक्षी संख्या– 01 सुनिता देवी तथा साक्षी संख्या– 02 रेशमा देवी** का साक्ष्य कराया गया है।

10. इस वाद में अभियुक्तगण का विचारण भा0द0वी0 की **धारा– 341 भा0द0वि0 तथा 3 और 4 डायन एक्ट** के लिए हो रहा है। प्रस्तुत मामले में परिवादिनी ने न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अभियुक्त से सुलह की बात स्वीकार किया है और कहती है कि अगर सुलह के आधार पर इस केस को समाप्त कर दिया जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

11. अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि, प्रस्तुत वाद **वर्ष 2022** का वाद है तथा परिवादनी पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में **दो साक्षियों** को प्रस्तुत किया गया, जिसमें से परिवादनी ने कहानी का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा परिवादी पक्ष की ओर से अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उभयपक्षों के बीच यह मामला सुलह हो गया है। परिवादी साक्षी ने न्यायालय में सुलहनामा तथा अनुमति पत्र दाखिल किया है तथा न्यायालय में उपस्थित होकर सुलह की बात स्वीकार करते है तथा परिवादनी की कहानी का समर्थन नहीं करते

Web Copy Not Official

हैं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों के साक्ष्य से परिवादी कथानक संदेह से परे साबित नहीं होता है, इसलिए संदेह का लाभ अभियुक्तों को प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

12. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि, चुंकि परिवादिनी एवं अभियुक्तों के बीच सुलह हो गया है एवं इस आलोक में सुलहनामा पर निम्न पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। इस वाद मे अभियुक्तों पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है। अतः

<u>आदेश</u>

इस वाद में विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों को भा०द०वि० की **धारा–147** में साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देते हुए तथा सुलह के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है इसलिए उन्हें एवं उनके जमानतदार को पूर्व में दाखिल बंधपत्रों के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

दिनांक–फरवरी 08.05.2025

Web Copy Not Official

(शिव श्रुतिका)
अ० मु० न्या० दण्डाधिकारी–VI
हाजीपुर, वैशाली

निर्णय आज दिनाँक–**08.05.2025** को मेरे द्धारा खुले न्यायालय में लिखित शुद्धिकृत, हस्ताक्षरित, दिनाँकित एवं उदघोषित किया गया।

(शिव श्रुतिका)
अ० मु० न्या० दण्डाधिकारी–VI
हाजीपुर, वैशाली।